बिना मास्क के बाजार में घूमने वालों पर निगम ने लगाया जुर्माना

64 लोगों से वसूल किया 8100

भिलाई नगर । नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 1 ,2 और जोन 3 की टीम ने शासन के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले, चेहरे पर मास्क लगाए बिना घूमने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अपने जोन क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार, सब्जी व फल मंडी और मार्केट का निरीक्षण कर बिना मास्क के कारोबार करने वाले व्यापारी, ग्राहक और राहगीर सहित कुल 64 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। उनसे कुल 8100 रुपये अर्थदंड वसूल किया गया। जोन 3 की टीम ने जुर्माना की राशि जमा नहीं करने वालों से दंड बैठक भी लगवाया। जोन क्रमांक 3 की आयुक्त प्रीति सिंह की टीम ने जवाहर मार्केट सर्कुलर मार्केट और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्केट का निरीक्षण कर कुल 46 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। उनसे 5200रुपए जुर्माना निगम के कोष में जमा करवाया। टीम में जोन के स्वास्थ्य अधिकारी आरपी तिवारी, स्वच्छता निरीक्षक वीके सैमुअल जितेंद्र वर्मा और छावनी थाना जवान शामिल थे। निगम उपायुक्त श्री अशोक द्विवेदी एवं जोन आयुक्त श्री सुनील अग्रहरि के निर्देश पर जोन एक का राजस्व अमला ने उत्तर गंगोत्री सुपेला ,लक्ष्मी नगर सब्जी मण्डी, कोहका जेवरा सिरसा रोड, सूर्या माल चौक , जुनवानी चौक, स्मृति नगर मार्केट , नेहरू नगर के दुकानों का निरीक्षण किया। मास्क लगाए बिना व्यवसाय कर रहे दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। दुकानदारों को मास्क पहनकर दुकान में बैठने की समझाइश दी गई। टीम में जोन 1 के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, राजस्व विभाग के प्रकाश चन्द्राकर, यात राम चन्द्राकर, अरूण जांगडे,कन्हैया, राजेंद्र सिंह शामिल थे। इसी प्रकार जोन 3 वैशाली नगर की आयुक्त पूजा पिल्ले, जोन के सहायक राजस्व अधिकारी संजय वर्मा टीम ने भी चेहरे पर मास्क लगाए बिना घूमने पांच लोगों से 500 जुर्माना वसूल किया।